



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092021-229482
CG-DL-E-08092021-229482

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3329]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943

No. 3329]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

का.आ. 3634(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति का नाम निर्देशित करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, समुदाय विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, अधिसूचना सा.का.नि. सं. 301(अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (xiv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(xiv) डा. विशाल चौधरी,

उप औद्योगिक सलाहकार, डीसीपीसी, कमरा सं. 344,

ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली”।

[फा. सं. 13029/02/2019-पीपी-1]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 301(अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. सं. 2746(अ), तारीख 9 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2021

S.O. 3634 (E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby nominate following person as member to the Central Insecticides Board for a period of three years from the date of publication of this notification and for this purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), dated the 27th February, 1971 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 1st March, 1971, namely:-

In the said notification, for serial number (xiv) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(xiv) Dr. Vishal Choudhary,
Dy. Industrial Advisor, DCPC, Room No. 344, A wing,
Shastri Bhawan, New Delhi ”.

[F.No. 13029/02/2019-PP-I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 27th February, 1971 and last amended *vide* number S.O. 2746(E) dated 9th July 2021.